निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक- 1445-47 /स0क0/शिक्षा-अ/जनसूचना/ / /2025-26

लखनऊ दिनांकः 19 जून, 2025

जनसूचना अधिकारी,
मुख्यालय।

विषयः-जनसूचना अधिकारी अधिनियम-2005 के अन्तर्गत वादी श्री एम0पी0सिंह के आनलाईन धारा 6(1) आवेदक दिनांक 22.11.2025 तथा प्रथम अपील दिनांक 14.12.2024 के सापेक्ष मा0 रा0सू0 आयोग में योजित वाद संख्या S09/A/0928/2025 दिनांक 20.06.2025 की सुनवाई में विभाग का पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सम्बन्धित प्रकरण पर कृत कार्यवाही एवं प्रेषित सूचना संबंधी सुसंगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक जनसूचना अधिकारी मु0 के पत्रांक-125-26 दिनांक 17.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके क्रम में मा0 आयोग के केस नम्बर S09/A/0928/2025 दिनांक 16.06.2025, पंजीकरण संख्या-A-20250102273 नोटिस संख्या-202506SN09N1000184 द्वारा योगी एम0पी0 सिंह द्वारा दी गयी सूचना से संतुष्ट न होने के कारण द्वितीय अपील गयी है। तत्क्रम में लिखित कथन की एक प्रति अपीलकर्ता को प्रेषित हुए आयोग के समक्ष प्रकरण सुनवाई दिनांक 20.06.2025 को अपना पक्ष स्वयं या प्राधिकृत के माध्यम से प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के क्रम में प्रकरण की बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है-

1- बिन्दु-1 के क्रम में अवगत कराना है कि छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वेबसाइट का साफ्टवेयर संबंधी संचालन राष्ट्रीय सूचना, विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ एवं हार्डवेयर संबंधित यथा सर्वर आदि का संचालन उ0प्र0 डेस्को, गोमती बैराज, लखनऊ द्वारा किया जाता है।

2- बिन्दु-2 के क्रम में अवगत कराना है कि छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से छात्रवृत्ति पोर्टल को एन0पी0सी0आई0 से इंटीग्रेट किया गया है, जिसमें छात्र के आधार सीडेड अकाउंट के स्टेटस की जानकारी का लाइव सत्यापन किया जाता है , यदि किसी छात्र का आधार सीडिंग न होने पर उस छात्र को आधार सीडिंग कराने हेतु एन0पी0सी0आई0 द्वारा मैसेज डिस्पले किया जाता है। आधार सीडिंग होने के उपरांत हीं छात्र का आवेदन पत्र छात्र द्वारा फाइनल सब्मिट किया जाता है।

3- बिन्दु-3 के क्रम में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 31 लाख सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं ने आवेदन पत्र फाइनल सब्मिट किया है तथा किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा एन0पी0सी0आई0 संबंधित तकनीकी समस्या से ससमय अवगत नहीं कराया गया। उक्त डाटा के अनुसार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एन0पी0सी0आई0 संबंधित कोई तकनीकी समस्या बेवसाइट पर नहीं थी।

4- बिन्दु-4 के क्रम में अवगत कराना है कि छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत जिला स्तर पर समिति का गठन किया गया है। कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर उक्त समिति द्वारा निदेशालय को अवगत कराया जाता है, जिसके क्रम में योजनाधिकारी द्वारा संबंधित को निर्देशित कर आवश्यक कार्यवाही करायी जाती है।

5- बिन्दु-1 में अवगत कराया गया है कि सर्वर का रखरखाव व संचालन यू0पी0 डेस्को, गोमती बैराज, लखनऊ द्वारा किया जाता है तथा साफ्टवेयर का संचालन एन0आई0सी0 द्वारा किया जाता है। सर्वर का रखरखाव व संचालन हेतु यू0पी0 डेस्को अपने स्तर से बजट की उपलब्धता के अनुसार व्यय करता है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- यथोक्त।

(आर0 पी0 सिंह)
उप निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- मा0 राज्य सूचना आयोग, आर0टी0आई0 भवन, जी0/7/7/ए/ विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ को वाद संख्या- S09/A/0928/2025 दिनांक सुनवाई दिनांक 20.06.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- श्री एम0पी0सिंह पुत्र श्री श्री राजेन्द्र सिंह प्रताप सिंह, सुरेकापुरम, कालोनी जबलपुर, मिर्जापुर सिटी, मिर्जापुर-23101 (स्पीड-पोस्ट)

3. श्री [illegible] को [illegible] हेतु

(आर0 पी0 सिंह)
उप निदेशक